

Val II, Issue:VIII, Sept 2012

ISSN : 2230-7850

Indian Streams Research Journal

Impact Factor 0.2105



Monthly Multidisciplinary Research Journal



Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N. Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken, Aiken SC
29801

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore
University of Management Sciences [PK]

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA
Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Titus Pop

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yalikar
Director Management Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary

Rahul Shriram Sudke

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut Sonal Singh

Director,Hyderabad AP India.

Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net**

ORIGINAL ARTICLE



जनसंचार माध्यमों के दृष्टीकोन से मानवाधिकार का महत्व

डॉ . सुधीर भटकर, प्रा . विनोद निताळे, प्रा . गोपी सोरडे

जनसंचार आणि पत्रकारिता विभाग ,उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ ,जळगाव

गोपवारा :

भारतीय संविधान में नागरिकों को आर्टिकल 19 ह्याअह अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वतंत्रता का अधिकार दिया है | इसी अधिकार के तहत पूरे भारत में संचार माध्यम कार्य करते हैं | जीन में समाचारपत्रि . व्ही , रेडिओ और अब इंटरनेट भी जुड गया है | भारतीय मिडिया को गौरवयूर्ण इतिहास है | इस मिडिया ने देशवासियों के प्रती हर वक्त अपने कर्तव्य को कम नहीं होने दिया | जनव अधिकारों को हर वक्त न्युज के माध्यम से संरक्षण देने कार्य मिडियाने किया है | इस कार्य में कई दिवकरे भी आई लेकिन हर वार जनता की वकालत इसी मिडियाने की है | अन्य देशों की तुलना में भारत में मिडिया को बहुत स्वतंत्रता है | भारत निर्माण कार्य में मिडिया का योगदान नकारा नहीं जा सकता है |

जनसंचार मध्यम में कार्यरत पत्रकार संपादक जीहे ह्य मिडियाकर्मी कहते हैं इनके दृष्टीकोन से मानवाधिकार का विशेष महत्व है | मिडियाकर्मीओं को मानवाधिकार मिलने हेतु विशेष प्रयास करना जरूरी है | मिडियाकर्मीओं के कार्यपद्धति और वेतन संदर्भ में मालक रवव्या बदलना जरूरी है | जातीय व्यवस्था जो मिडिया में वर्सी है उसका भी निर्मूलन होना बहुत जरूरी है | मिडियाकर्मीओं को मानवाधिकार संदर्भ में विशेष रूप से शिक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है | क्योंकी असल में मानवाधिकार क्या है यही अगर मिडियाकर्मी को पता नहीं तो अपने और पाठक के प्रती वह कैसे लार्ड लढ पाएगे |

प्रस्तावना

“किसी भी समाज में विशेषतः प्रजातांत्रिक समाज में संचार माध्यमों की भूमिका अपरिहार्य है | संचार माध्यम व्यवस्था को जागरूक बनाए रखता है | ये क्या हो रहा है | तथा क्या होना चाहिए | के विच के अंतर का स्पष्ट करते है | तथा इस अंतर को कम करणे का प्रयास करते है | दूसरी और समाजिक व्यवस्था का प्रजातांत्रिक स्वरूप उसे लोक कल्याणकारी अपेक्षाओं के प्रती वचनवध बनाना है |”¹ प्रजातांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का महत्व निर्देशित करते हुए मीना माधुरुने समाज को जागरूक बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन मिडिया को बताया है | भारतीय प्रजातंत्र में मिडिया का स्थान आज भी इसी वात को अधोरेखीत करता है | बहुविध जाती एवं जनजाती और धर्मसंवाले भारत वर्ष में एकता बनाए रखना कुछ आसान काम नहीं | भारतीय स्वतंत्रता को 63 वर्ष पूर्ण हुए है | इन 63 वर्षों में देश ने एकता लाने संघर्ष पहली सुव्यवसिथत घोषणा 10 दिसंबर 1948 को सामने आयी | संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गयी यह घोषणा 'मानव अधिकारों की विश्व घोषणा' कहलाती है | भारत देश 1947 को स्वतंत्र हुआ और 1950 में भारतीय संविधान कार्यान्वीत हुआ | भारत देश 1947 में भारतीय संविधान कार्यान्वीत हुआ | भारत ने शुरुवाती दौर में ही अन्य देशों के तुलना में मानवाधिकार का समावेश अपने संविधान में कायदों के रूप में किया | जनसंचार माध्यमों को इसी अधिकारों के तहत मुक्त कार्य करणे की अनुमती है | अभिव्यक्ती स्वतंत्र अधिकार फल स्वरूप आज मिडिया भारत में कार्यरत है | संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित मानवाधिकार और गरिद्र्य मानवाधिकारों का महत्व मिडिया के दृष्टीकोन से किस प्रकार है क्र इस प्रश्न के फलस्वरूप इस शोध पत्रिका का अनुष्ठान किया गया है |

विषय विस्तार एवं उद्दिष्ट

आंतराष्ट्रीय स्तरपर सन 1948 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में मानवाधिकारों के संदर्भ में घोषणा की “Every one has the Right to freedom of opinion and expression; this Right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”² विश्व के सभी मानव को अभिव्यक्ती का अधिकार मानवाधिकार प्रदान करता है | उसके लिए वह किसी भी मिडिया का सहारा ले सकता है | क्या भारत वर्ष में मिडिया को यह स्वतंत्रता मिली है क्र आज भी भारतवर्ष का संचार माध्यम इस अधिकार लदाई में जुजा हुआ है | जयपूर स्थित समेलन में ह्याफरवरी 2012ह सलमान रश्वी नामक लेखक एवं

Please cite this Article as :डॉ . सुधीर भटकर, प्रा . विनोद निताळे, प्रा . गोपी सोरडे , जनसंचार माध्यमों के दृष्टीकोन से मानवाधिकार का महत्व : Indian Streams Research Journal (Sept. ; 2012)



विचारशील व्यक्ति को सम्मिलित नहीं होते आये। क्या यह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कर भारतीय मिडिया स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रव्याप्त पत्रकार कुलदीप नायर कहते हैं। “भारतीय मिडिया कितना स्वतंत्र है। वह अपने विचार रखने में कितना सक्षम है। भारत के उपराष्ट्रपत्री हमीद अन्सारी प्रधानमंत्री डॉ. मनोहरनसिंग और प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया के प्रमुख न्या मार्किंग काटन्जु इनके संबोधन के बाद यह प्रश्न निर्माण हुए हैं।”³ 3 कुलदीप नायर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में आज भी मानवाधिकार का पतन हो रहा है। इस संदर्भ में उपराष्ट्रपत्री एवं प्रधानमंत्री का संबोधन भी इस पतन को निर्देशीत करता हुआ नज़र आता है। जहाँ आज भी मिडिया के संबोधदाता पर हाले हो रहे हैं। वहाँ मानवाधिकार संचार माध्यम के ऑफिस कोसो दूर नज़र आता हुआ दिखाई देता है। भारत वर्ष में विशेषतः महाराष्ट्र में संचार माध्यमों के दृष्टीकोन से मानवाधिकार का महत्व उधोरेखीत करना ही इस शोधपत्रिका का मुल उद्देश है।

उद्दिष्ट

1. मानवाधिकार स्वरूप एवं रचना का अध्ययन करना।
2. संचार माध्यम के दृष्टीकोन से मानवाधिकार का परिक्षण करना।
3. महाराष्ट्र स्थित मिडिया की विधियों का अध्ययन करना।
4. संचार माध्यम के लिए मानवाधिकार का महत्व अध्ययन करना।

मानवाधिकार का स्वरूप एवं महत्व

मानवाधिकार इस शब्द का अर्थ है मनुष्य को स्वतंत्र समता न्याय वंधुता और आत्मसम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करणे का अधिकार। मानवाधिकार उन्हीं पंच तत्वपर आधारित हैं। इन पंचतत्वों का सही ओर न्याय पूर्ण पालन किया जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 सितम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की स्वीकृत किया थी। सार्वभौम मानवीय अधिकारों की वारे 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्थ से मुख्य जीश समय विश्व महायुद्ध से परेशान लोग वर्वारी के कागार पर पहुंच चुके थे। नई अर्थव्यवस्था ने दो मंजर निर्माण किए हैं। एक जीन के पास सकुछ है और दुसरा जीसके पास कुछ नहीं। युद्ध और अर्थव्यवस्था का बदला स्वरूप मानवी जीवन का भूत्य उजागर करने में काफ़ी है। विश्व में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ से अधिक वर्षे 5 वर्ष की उम प्राप्त करने से पहले काल से ग्रास वन जाते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ से अधिक वर्षे 5 वर्ष की उम प्राप्त करने से पहले काल से ग्रास वन जाते हैं। आज भी दासता और मजदूर का जीवन व्यतीत करनेवाले लोगों की संख्या अधिक है। बालक और महिलाएँ इनके शोषण का प्रतिशत आज भी ज्यादा है। “ऐसे माहौल में कोई इतिहास ऐसा होना चाहिए जो अर्थों को उतारे में परिवर्तित कर सके की रूपरेपा दे सके। वैसे तो प्रत्येक देश का मानव अधिकारों की प्राप्ति के संदर्भ में सार्वभौम घोषणा का दस्तावेज़ कुछ ऐसे शब्दों में परिनियत किया थी। चुकिं मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और स्वान्नता अविलिन अधिकारों की स्विकृति विश्वशांति न्याय और स्वतंत्रता की उनीयद है। चुकिं मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे वर्ष कार्य हुए जिनमें मनुष्य की आपा पर अत्याचार किया गये। वैसे एक ऐसे विश्व व्यवस्था की उम स्थापना को व्यजिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ती मिलेगी है सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषीत किया गया है . . .”⁴

उपरोक्त पंक्तीया मानवाधिकार के स्वरूप को स्पष्ट करती है। मानवाधिकार इस संकल्पना का अर्थ अनेक अध्ययनकर्ताओं ने अलग ढंग से निर्देशीत किए हैं। जीन में प्रसिद्ध विचारवाले लोकी कहते हैं। “अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जीनसे विना आप तौर पर कोई व्यक्ति सर्वोत्तम रूप पाने की आशा नहीं कर सकता।” भारत में मानवाधिकार संश्करण अधिनियम 1913 को भारत की संघर्ष ने पारित किया है। इस अधिनियम की धारा 2 व्याघ में मानवाधिकार शब्द की परिभाषा इस पकार दी गई है। मानव अधिकारों का तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्यापूर्त अथवा अन्तर्गटीय प्रसंविदाओं में सन्निहित व्यक्तिओं की प्राप्त स्वातंत्रता समानता एवं गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकारों से है जो भारत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मानवाधिकार के संदर्भ में प्रकाश माटाणी करते हैं की ‘मानवाधिकार से अभियाय उन अधिकारों से हैं जो मानव समाज के विकास के लिए मूलभूत हैं तथा वे मानव को इस आधारपर मिलने चाहिए कि वह मानव है।’ मानव के द्वारा जो नैतिक मौलिक एवं असमिकाय व्यीननपिन्करण अधिकार कीरण किए जाते हैं। उन्हे मानवाधिकार कहा जा सकता है।”⁵ 6 जगन्नाथ मोहनी अपने मानवाधिकार शिक्षा का विश्व में विकास इस शोधपत्र में मानवाधिकारों को परिभाषित करते हुए कहते हैं। “नोवल पुरास्कार के सम्मान से जीन्हे गौरांकित कीया गया वह श्री रेले कॉर्नीजन जीन्होंने विश्व मानवीयकार घोषणा पत्र की रचना करने संदर्भ में भी योगदान दिया है। उन्होंने ही प्रस्तुत पंक्तीया मानवाधिकार के संदर्भ में कहते हैं “The science of human rights is defined as a particular branch of the social science the object of which is to study the human relations in the light of human dignity while determining those eighties and faculties which are necessary. As a whole for the full development of each human beings personality”⁷ मानव के संपूर्ण विकास के लिए मानवाधिकार कैसे उपयुक्त है यह वह निर्देशीत करते हैं। मानवाधिकार की परिभाषा अधिक घटक करने के संदर्भ में किए गये अध्ययन कर्ताओं के विचारों से यह सूचीत होता है की संपूर्ण विश्व में मनुष्य सम्मानपूर्वक स्वतंत्र और पूरी तरह से प्रगत होने हेतु मानवाधिकार की उपयुक्तता है।

भारत वर्ष में मानवाधिकार संश्करण अधिनियम 1923 लागू किया गयी जीसमें मानव अधिकारों की जो परिभाषा दी गयी है। तदनुसार “भारतीय संविधानद्वारा गारंटीकृत तथा अन्तर्गटीय प्रसंविदाओं में सम्मिलित एवं भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता समानता एवं गरिमावाले अधिकार मानव अधिकार हैं।”⁸

जनसंचार माध्यम और मानवाधिकार

भारतीय संविधान में नागरिकों को आर्टिकल 19 द्यअह अंतर्गत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसी अधिकार के तहत पूरे भारत में मंचार माध्यम कार्य करते हैं। जीन में समाचारपत्र टि.व्ही., रेडिओ और सर इंटरनेट भी जुड़ गया है। भारतीय मिडिया को गौरवपूर्ण इतिहास है। इस मिडिया ने देशवासियों के प्रती हर वक्त अपने कर्तव्य को कम नहीं होने दिया। मानव अधिकारों को हर वक्त न्युज के माध्यम से संश्करण देने का कार्य मिडियाने किया है। इस कार्य में कहीं दिक्कतों भी आई लेकिन हर वार जनता की वकालत इसी मिडियाने की है। अन्य देशों की तुलना में भारत में मिडिया को बहुत स्वतंत्रता है। भारत निर्माण कार्य में मिडिया का योगदान नकरा नहीं जा सकता है। इस संदर्भ में प्रव्याप्त अर्थतङ्ज डॉ. अमर्यसेन कहते हैं “मुक्त पत्रकारिता ही भारताच्या लोकशाहीच्या फारमोटी संपदा आहे। मुक्त पत्रकारिता हे फार मोठे यश घेणावे लागेत। आपल्या लोकशाहीच्या लर्वपद्धतीशी मुक्त पत्रकारितेचा संबंध आहे। महिनी दडपल्याने हुकूमशाहीच्या विकास होतो। अशा स्थिरोत्तम वृत्तपत्राचे किंवा मिडियाचे स्वतंत्र्य हे भारतीय लोकशाहील कारण टाळे आहें। त्यामुळे कठीं कठीं युरोपात किंवा अमेरिकेत असलांता भारतीय पत्रकारितेच्या अनेक अंगांची प्रकपणी जारीवाही होते।”⁹ युरोप और अमेरिका में मिडिया को जीवन से विवरण दिए गए, इस कारणवश मुक्त पत्रकारिता का गल दवाया गया है। जहाँ मिडिया ही स्वतंत्र नहीं वहा आम जनता की उपकार कीन सुनेगा आम जनता के अधिकारों का हक्क रोकने के लिए उन मुद्दों को उजागर करना जरूरी होता है। जनता के प्रश्नों की उजागर करना और उन्हें सुलझाना मिडिया का प्रमुख दायीत्व है। मिडिया लोकतंत्र में ताकतवर संसाधन के रूप में कार्य करता है। जीवका असर ना केवल राज्यकर्ताओं पर होता है वल्की न्यायव्यवस्था और प्रशासन पर भी गहरा असर दिखाई देता है। मिडिया के परिणाम के संदर्भ में हेमंत कुलकर्णी कहते हैं “दृक्श्राव्य माध्यमाच्या अमर्याद

ताकटीमुळे एखाद्या असंत मर्यादित घटनेचे स्वरूपही विग्रह रूप धारण करू लागले व त्याचा प्रभाव देखील मग “भूमितीय पद्धतीने वृथिंगत होऊलागला”¹⁰ टेलिकॉन्जन मिडिया के परिणाम स्वरूप हेंगत कुलकर्णी वताले हैं कोई छांटी घटना को अगर टी . बी . मिडिया के माध्यम से दर्शाय जाये तो वह विग्रहरूप धारण करती हैं | परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव भी मल्टीप्ल होता है | मिडिया के शक्तीशाली रूप को जानते हुए जी चौरसीया मानवाधिकार के प्रसार और रक्षण के संदर्भ में मिडिया की उपयुक्तता दर्शाते हुए कहते हैं “As a tool for the promotion and protection of human rights, by reporting on the content of international human rights, by encouraging tolerance between various national ethnic religious and linguistic groups and by exposing rights violations wherever and whenever they occur.”¹¹ मुक्त पत्रकरिता ही मानवाधिकार का रक्षण कर सकती हैं | इस बात को जी चौरसीया भी सहमत हैं |

जनता के रक्षण करने हेतु जनता की आवाज उत्तराप्ति करता है | लेकिन मिडिया के अंदर काम करनेवाले पत्रकार सुकृति है ऋ मानवाधिकार क्या पत्रकारों को नहीं है | ऋ विलकृत लेकिन पत्रकारों के मानवाधिकारों का रक्षण कीन करेगी | हाली में मुव्विस्थित जे . डी . नामक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या की गयी | प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्किंड इंहोने हालही में पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने की मांग की है | आए दिन पत्रकारों पर हमले होने की घटनाए अब नई नहीं हैं | मिडियाकर्मी सामान्य जनता के मानवाधिकार प्रती जागृक है लेकिन मिडियाकर्मी के प्रती शासन या पुलीस सतर्क नजर नहीं आती | मिडियाकर्मीओं पर हो रहे हमले के संदर्भ में जी चौरसीया लिखते हैं “We must ask why we have failed in protecting journalist and broadcasters for persecution and attacks, what can we do to provide media professionals with the legal and actual Protection which they require and to which they are entitled under International human rights law?”¹²

12 माध्यमकर्मीओं के लिए विशेष अधिकारों का व्यवहार होने के मांग चौरसीया रखते हैं | लेकिन लोकतात्त्विक देश में क्या यह ठीक हैं | जहां जनता सर्वथेष्ट है वहां जनता में से ही चौरसीया कर्मीओं को विशेष अधिकार देना मतलब और एक सततकर्त्ता स्थापित करना होगा | मिडियाकर्मीओं पर आए दिन हो रहे हमले ही एक प्रमुख मिडियाकर्मी संघर्षी मानवाधिकार हनन का कारण नहीं है | इसी के साथ मिडिया में अधिक समय तक काम करना काम के अनुयोग में वहुत ही कम पेंट मिलना तनाखा के अलावा अन्य सेवाएं भी मालक वर्ग से मिडियाकर्मीओं को अवसर रूप में दिया जाता है | पत्रकारों को नहीं देते . परिणाम स्वरूप मुफ्त में ही पत्रकारों से मिडिया में कार्य करवाने जैसा है | क्या यह मिडिया मालक का प्रवक्ष कार्य करनेवाले मिडियाकर्मीओं का मानवाधिकार हनन नहीं है ऋ इस प्रकार क्य तनाखा में ज्यादा काम और छुटीयां भी अवसरत देना यह भी पत्रकार मानवाधिकार का हानी है |

इसी से जुड़ी और एक बात मिडिया में जीतने भी उच्च दर्जे के स्थान है वहा निर्धारित वर्ग के ही लोग काम करते हुए नजर आते हैं | कही कही बात यह लागू ना हो अपेक्षा अधिकारं जगह संपादक मालक भेंजर इन स्थानोंपर विशिष्ट वर्ग का अधिपत्य नजर आता है | इस विषय में अपने विचार रखते हुए रूपचन्द गौतम कहते हैं “मिडिया में तो आज तक दलित एवं आदिवासी को अंदर नहीं आने दिया देश में किसी समाचार पत्र चैनल का संपादक दलित एवं आदिवासी नहीं है | यैर इतनी बात भी हम छोड़ दे तो किसी दलित पत्रकार को किसी अन्यवाचा में स्थायी कॉलम के लिए अनुबंध पत्र नहीं दिया गया है”¹³ 13 जहां दलित एवं पिछडे जाती के वर्ग के लिए मिडिया में स्थान नहीं क्या वहां दलित मानवाधिकार जीवीत हो सकता है ऋ नहीं जुड़े कई स्वाल मानवाधिकार के संदर्भ में दियते हैं |

जनसंचार माध्यम में कार्यरत पत्रकार संपादक जीहे हैं मिडियाकर्मी कहते हैं | इनके दृष्टीकोन से मानवाधिकार का विशेष महत्व है | मिडियाकर्मीओं को मानवाधिकार मिलने हेतु विशेष प्रयास करना जरूरी है | मिडियाकर्मीओं के कार्यपद्धति और वेतन संदर्भ में मालक रवव्या बदलना जरूरी है | जातीय व्यवस्था जो मिडिया में वरी है उसका भी निर्मूलन होना वहुत जरूरी है | मिडियाकर्मीओं को मानवाधिकार संदर्भ में विशेष रूप में शिक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है | क्योंकि असल में मानवाधिकार क्या है यही अगर मिडियाकर्मी को पता नहीं तो अपने और पाठक के प्रती वह कैसे लडाइ लड़ पाएगे |

निष्कर्ष

- 1 . मिडियाकर्मीओं के मानवाधिकार का हनन हो रहा है |
- 2 . मिडियाकर्मीओं के मानवाधिकार हनन संदर्भ में ना मिडियाकर्मी सजग है नाही मिडिया के प्रमुख मालक को इस बात का मलन है |
- 3 . मानवाधिकार संबंध में मिडियाकर्मीओं को शिक्षित करना जरूरी है |
- 4 . मिडिया क्षेत्र में दलित एवं आदिवासी लोगों को उच्चपदोंसे दूर रखा जाता है |
- 5 . महाराष्ट्र ही नहीं वर्ती पूरे भारत में मिडियाकर्मीओं पर आतंकी और राजनीतिक हमले हो रहे हैं |

मुचनाएँ

- 1 . मिडियाकर्मीओं के मानवाधिकार संदर्भ में विशेष शिविरोंको आयोजन किया जाए .
- 2 . गण्डिय मानवाधिकार आयोग तदन विशेष अधिकारों का व्यवहार मिडियाकर्मीओं के प्रती किया जाए .
- 3 . मिडिया क्षेत्र में दलित एवं आदिवासी लोगों को समान न्याय दिया जाए .
- 4 . मिडियाकर्मीओं पर हो रहे आतंकी और राजनीतिक हमलों के संदर्भ में सरकार के कडे कदम उठाना जरूरी है |
- 5 . मिडियाकर्मीओं के कार्य करने का समय और वेतन संदर्भ में मालकों का रवव्या बदलना जरूरी है |

संदर्भ सूची

- 1 . माथुर मीना प्रजातन्त्र प्रेस तथा प्रशासन एवीडी पब्लिशर्स जयपूर 1999 पृ . क . 01 .
- 2 . Article-19 Universal Declaration of human Rights, 217A (III) of 10 Dec . 1948 .
- 3 . नायर कुलदिप विचार मांडण्याचा हक्क शब्दांच्या पलीकडे दै . लोकमत 11 फेब्रुवारी 2012 पृ . क . 6 .
- 4 . मिश्र दामोदर डॉ . आंबिल शुल्क मानवाधिकार दशा और दिशा पोंडिन्टर पब्लिशर्स जयपूर पृ . क . 2 .
- 5 . नाराणी प्रकाशन नारायण मानवाधिकार और कर्तव्य आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्युटर्स जयपूर 2007 पृ . क . 01 .
- 6 . नाराणी प्रकाश नारायण किता पृ . क . 02 .
- 7 . मोहनी जगनाथ हुमन गईट एज्युकेशन दीप अॅन्ड दीप प्रकाशन न्यु विल्स पृष्ठ क . 17 .
- 8 . मानवाधिकार संक्षण अधिनियम 1993 प्रारंभिक परिभाषा .
- 9 . डॉ . सेन अमर्त भारतीय मिडियाचे गुण दोपदै . लोकमत जल्गाव आवृत्ति दि . 13 जाने 2012 . पृ . क . 3 .

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal

For All Subjects

Dear Sir/Madam,

We invite original unpublished research paper. Summary of Research Projetc, Theses, Books and Books Review of publication, You will be pleased to know that our journals are..

Associated and Indexed, India

- OPEN J-GATE
- International Scientific Journal Consortium Scientific

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- DOAJ
- EBSCO
- Index Copernicus
- Academic Journal Database
- Publication Index
- Scientific Resources Database
- Recent Science Index
- Scholar Journals Index
- Directory of Academic Resources
- Elite Scientific Journal Archive
- Current Index to Scholarly Journals
- Digital Journals Database
- Academic Paper Database
- Contemporary Research Index

Indian Streams Research Journal
258/34, Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact:- 9595359435
E-Mail- ayisrj@yahoo.in / ayisrj2011@gmail.com
Website- www.isrj.net

